संख्या– 177 /38–9–10–13ब/2006

प्रेषक,

श्रीकृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2010

विषयः–महामाया आवास योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश के पात्र आवासविहीन अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उददेश्य से महामाया आवास योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। योजना कियान्वयन में परिलक्षित हुयी कठिनाइयों के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि इस योजना हेतु पृथक मानदण्ड स्थापित किये जाये।

2–प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामाया आवास योजना के कियान्वयन के मानदण्ड में परिवर्तन करते हुये अब इस योजना के कियान्वयन हेतु निम्न प्रकार कार्यवाही की जायेगीः–

1– बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर तैयार की गई स्थाई प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध होने की शर्त को हटाते हुये लाभार्थियो का चयन अव निम्न वरीयता कम से किया जायेगाः–

क–आवासविहीन तथा अस्थायी झोपडियों में रहने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों के चयन हेतु खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा पंचायतवार/ग्रामवार (जिसमें सभी मजरे भी सम्मिलित होंगे) एक माह में सूची तैयार करायी जायेगी।

ख–उक्त सूची के आधार पर महामाया आवास का आवंटन निम्न वरीयता कम में किया जायेगाः–

1– अनुसूचित जाति/ जनजाति की आवासविहीन विधवा महिला
2– अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासविहीन विकलांग व्यक्ति
3– अनुसूचित जाति/ जनजाति के घासफूस की झोपडियों में रहने वाले आवासविहीन परिवार।
4– अनुसूचित जाति/ जनजाति के आवासविहीन अन्य परिवार

ग– उक्त वर्गीकरण के बाद यदि महामाया आवास उपलब्ध रहते हैं और लाभार्थियों की संख्या अधिक हो, तो आवासविहीन तथा अस्थायी झोपडियों में रहने वाले लाभार्थियों को आवास का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

2— उपरोक्त आवास की अनुमन्यता केवल आवासविहीन तथा अस्थायी झोपडियों में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अनुमन्य होगी जो इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में नहीं होगें।

3— राज्य स्तर पर महामाया आवास योजना में उपलब्ध कुल धनराशि का 10 प्रतिशत दैवीय आपदा (जिसमें ग्रीष्म ऋतु में आग लगने की घटना तथा अतिवृष्टि सम्मिलित हो) एवं दंगा, आगजनी, आतिशजनी (आर्सन) एवं पुनर्वास के आकस्मिक स्थितियों में प्रभावित निर्धनतम परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु आरक्षित कर किया जायेगा।

4— दैवी आपदा की स्थिति में आपदा प्रभावित निर्धनतम पात्र परिवारों को आवास निर्माण हेतु यदि किसी अन्य मद से (जैसे दैवी आपदा की स्थिति में राजस्व विभाग द्वारा अनुमन्य गृह अनुदान) सहायता प्राप्त हुई है तो भी महामाया आवास योजना की सुविधा अनुमन्य होगी।

5— इस संम्बन्ध में निर्गत पूर्व के शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

अतःअनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या—177 /38—9—09—13ब/2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0शासन।
2— प्रमुख सचिव,वित्त विभाग,उ0प्र0शासन।
3— प्रमुख सचिव,नियोजन विभाग,उ0प्र0शासन।
4— आयुक्त,ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।
5— समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।
6— समस्त परियोजना निदेशक,उ0प्र0।
7— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।